भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

भूमि संसाधन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4173

दिनांक 19अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

बंजर भूमि को उपजाऊ भूमि में परिवर्तित करना

†4173. **श्री नवीन जिंदलः**

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2020 में ग्रामीण क्षेत्रों में बंजर भूमि को सफलता पूर्वक उपजाऊ कृषि भूमि में बदलने का राज्यवार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित करने के लिए सरकार **द्वारा** की गई पहलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) बंजर भूमि **पुनरुद्धार** तकनीक में ग्रामीण समुदायों को प्रशिक्षित करने के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) उपग्रह **प्रौद्योगिकी** और सुदूर संवेदन का उपयोग करके ग्रामीण भारत में बंजर भूमि की पहचान और मानचित्रण के लिए सरकार **द्वारा** उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या बड़े पैमाने पर बंजर भूमि सुधार के लिए कोई नए वैज्ञानिक या तकनीकी नवाचारों की खोज की जा रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकारी योजना के तहत बंजर भूमि को उत्पादक कृषि भूमि में बदलने के लिए किसानों और ग्रामीण समुदायों के लिए कोई वित्तीय या तकनीकी सहायता उपलब्ध है और यदि हाँ, तो वर्ष 2020 से उपर्युक्त योजना के अंतर्गत शामिल लाभार्थियों का वर्षवार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. चन्द्र शेखर पेम्मासानी)

(क), **(ख) और (च)**: भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, 'भूमि' राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती है। अतः, बंजर भूमि को उपजाऊ कृषि भूमि में परिवर्तित करने के लिए उपयुक्त कदम उठाना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। तथापि, भारत सरकार विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयासों को सहयोग प्रदान करती है।

भूमि संसाधन विभाग (डीओएलआर) वर्षा सिंचित/अवक्रमित क्षेत्रों के विकास के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के वाटरशेड विकास घटक (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई) को कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना में अन्य बातों के साथ-साथ, रिज क्षेत्र निरूपण, जल निकासी लाइन निरूपण, मृदा एवं नमी संरक्षण, वर्षा जल संचयन, नर्सरी लगाना, चारागाह विकास, संपत्तिहीन व्यक्तियों के लिए आजीविका आदि कार्यकलाप शामिल हैं।

डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 1.0 (वर्ष 2009-10 से 2014-15 के बीच स्वीकृत परियोजनाएं) के अंतर्गत, भूमि संसाधन विभाग ने 27 राज्यों और जम्मू-कश्मीर तथा **लद्दाख** संघ राज्य क्षेत्रों में 29.59 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करने वाली 6382 वाटरशेड परियोजनाओं के कार्यान्वयन में सहयोग किया और राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को 19,926.67 करोड़ रुपये का केंद्रीय हिस्सा जारी किया गया। वर्ष 2014-15 से 2021-22 के बीच, लगभग 7.64 लाख जल संचयन संरचनाओं का **सृजन/पुनरुद्धार** किया गया, लगभग 16.40 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को संरक्षणात्मक सिंचाई के अंतर्गत लाया गया तथा 36.34 लाख किसान लाभान्वित हुए। इसके अलावा, वर्ष 2018-19 से 2021-22 तक, 3.36 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य बंजर भूमि का निरूपण किया गया है। डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 1.0 परियोजनाओं की अवधि मार्च, 2022 में समाप्त हो गई।

भारत सरकार ने वर्ष 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 के रूप में कार्यक्रम को जारी रखने की मंज़ूरी दिनांक 15 दिसंबर 2021 को दी। डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 के अंतर्गत, भूमि संसाधन विभागने 28 राज्यों और जम्मू-कश्मीर तथा **लद्दाख** संघ राज्य क्षेत्रों को 52.95 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करने वाली 1220 वाटरशेड विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनकी कुल लागत 12972.85 करोड़ रुपये (केंद्रीय हिस्सा: 8487.96 करोड़ रुपये) है। वाटरशेड परियोजनाओं के लिए लागत मानदंड मैदानी क्षेत्रों के लिए 22,000 रुपये प्रति हेक्टेयर, पहाड़ी/दुर्गम क्षेत्रों के लिए 28,000 रुपये प्रति हेक्टेयर और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित/एकीकृत कार्य योजना जिलों के लिए 28,000 रुपये प्रति हेक्टेयर तक हैं। अब तक, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को 5152 करोड़ रुपये का केंद्रीय हिस्सा जारी किया जा चुका है।

डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 के अंतर्गत, वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक लगभग 1.35 लाख जल संचयन संरचनाओं का **सृजन/पुनरुद्धार** किया गया है, लगभग 1.90 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को संरक्षणात्मक सिंचाई के अंतर्गत लाया गया है, 6.76 लाख हेक्टेयर

अवक्रमित / वर्षा सिंचित क्षेत्र का विकास किया गया है और 13.42 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं।

इसके अलावा, वाटरशेड परियोजना क्षेत्रों में लगभग 1.18 लाख स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है और उन्हें लगभग 523 करोड़ रुपये की परिक्रामी निधि (Revolving Fund) से सहायता प्रदान की गई है।

(ग) वाटरशेड से संबंधित क्षेत्रों के समुदायों को प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन तकनीकों और उन्नत उत्पादन प्रणालियों को अपनाने के लिए नियमित अंतराल पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

(घ) भूमि संसाधन विभाग ने राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र (एनआरएससी) के सहयोग से सुदृढ़ भू-स्थानिक सूचना के साथ 'बंजर भूमि एटलस-2019' प्रकाशित किया है। इस एटलस का **उद्देश्य** देश में वर्ष 2008-09 और 2015-16 के बीच विभिन्न बंजर भूमि श्रेणियों में हुए स्थानिक परिवर्तन को 1:50,000 के पैमाने पर दर्शाना है।

(ङ) विभाग, डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 के अंतर्गत वाटरशेड विकास परियोजनाओं के नियोजन, कार्यान्वयन और निगरानी में भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) और सुदूर संवेदन (आरएस) **प्रौद्योगिकियों** के उपयोग को बढ़ावा दे रहा है। इसके अतिरिक्त, चयनित परियोजना क्षेत्रों में प्रायोगिक आधार पर भूमि संसाधन इन्वेंटराइजेशन (एलआरआई) आधारित वाटरशेड प्रबंधन का अभ्यास किया जा रहा है।

*****